न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

अपील संख्या :- 89/2020

1. हसन खान पुत्र कालू खान उम्र 36 वर्ष जाति मुसलमान निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर (राज0)।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय आदेश दिनांक 21.09.2020 न्यायालय तहसीलदार तहसील विराटनगर मु. नं. 105/2020 उनवान सरकार बनाम हसन खान धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

निर्णय **दिनांक** 22.12.2020

अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश 21.09.2020 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। जिसमें अपीलान्ट द्वारा वर्णित तथ्य निम्मन भांति पेश किये गये हैं।

1. यह है कि पटवारीहल्का भाबरू द्वारा दिनांक 20.08.2020 को एक अतिक्रमण रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम भाबरू के आराजी खसरा नम्बर 3415 किस्म गैर मुमकिन नदी के रकबा 0.30 है0 में गैर सायल ने बाजरा काश्त कर अवैध अतिक्रमण किया है तथा विशेष विवरण में अतिकमी को पश्चातवर्ती अतिकमी बताया है जिसको भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में पटवारी हल्का ने अपने बयान कलमबद्ध कराये व अतिकमण के साक्ष्य के रूप में सम्वत 2076 व 2077 की खसरा परिवर्तनशील पेश किये तथा पटवारीहल्का ने पश्चातवर्ती अतिकमी होना बताया जाकर सजा से दण्डित करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रश्नगत आराजी पर पश्चातवर्ती अतिकमण मानते हुए गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर गैर सायल हसन खान पुत्र कालू खान जाति मुसलमान निवासी भाबरू

कलक्टर (जयपुर)

Scanned with CamScanner

तहसील विराटनगर को आराजी खसरा नम्बर 3415 किस्म गैर मुमकिन नदी के रकबा 0.30 है0 से बेदखली के आदेश दिये गये है तथा लगान का पचास गुणा 266/– रूपये शास्ति आरोपित की गई है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के आरोप में एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत गैर सायल को तीन माह (90 दिवस) की अवधि के लिए दण्डित किये जाने के आदेश दिये गये है। जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई है।

2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश 21.09.2020 अपीलार्थी को बिना सुने तथा अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय पारित किया है जो न्यायसंगत नही है।
3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा अपीलार्थी प्रार्थी को किसी प्रकार का जबाव प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया ना ही प्रार्थी/अपीलान्ट के बयान कलमबद्ध किये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 21.09.2020 गलत रूप से जारी किया है जो अपास्त किया जाना उचित प्रतीत एवं न्यायसंगत है।
4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारीहल्का की रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अपीलार्थी/प्रार्थी के विरूद्ध सजा का आदेश प्रदान किया है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट को जिरह का कोई अवसर नही दिया गया है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का आदेश कानून की पूर्ति नही करता है। इस कारण से भी आदेश 21.09.2020 अपास्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि अपीलार्थी/प्रार्थी का वाके ग्राम भाबरू में स्थित आराजी खसरा नम्बर 3415 किस्म गैर मुमकिन नदी के रकबा 0॰30 है0 पर कोई कब्जा नही है। तथा ना ही अपीलार्थी/प्रार्थी ने वर्तमान में मौके पर आतिकमण कर रखा है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश 21.09.2020 निरस्तनीय है।
6. यह है कि प्रस्तुत की गई अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार में आती है जिसे सुनने व तैय करने का अधिकार श्रीमान को प्राप्त है। अपील देरी से प्रस्तुत करने की छूट चाहने हेतु प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम दफा 5 अलग से संलग्न पेश है। जिससे अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलार्थी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील मंजूर फरमाई जाकर तहसीलदार विराटनगर का आदेश 21.09.2020 को अपास्त फरमावें।
7. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार उपस्थित होकर प्रकरण में पटवारी हल्का से अतिकमण रिपोर्ट प्राप्त कर पेश की गई जो संलग्न पत्रावली है।

कलक्टर
(जयपुर)

Scanned with CamScanner

8. बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई बहस में अभिकथन किया कि पटवारी हल्का भाबरू तहसील विराटनगर द्वारा ग्राम भाबरू के आराजी खसरा नम्बर 3415 किस्म गैर मुमकिन नदी के रकबा 0.30 है० भूमि पर गैर सायल/अपीलान्ट द्वारा नाजायज रूप से अतिक्रमण कर बाजरा की फसल काश्त करना बताया जाकर गलत रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर के समक्ष पेश की गई है। उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गैर सायल अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 3415 किस्म गैर मुमकिन नदी वाके मौजा भाबरू से बेदखली के आदेश पारित किये है तथा लगान का 50 गुणा पैनाल्टी एवं एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत 90 दिवस की अवधी के लिए सजा के आदेश जारी किये हैं। जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दिनांक 21.09.2020 को पारित करते समय प्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था तथा जबाव के लिए अवसर दिया जाना चाहिए था एवं बयान लेखबद्ध किये जाने चाहिए थे लेकिन बिना सुनवाई व जबाव के अवसर दिये बिना अपीलान्ट/प्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एक तरफा निर्णय पारित कर दिया जो विधि अनुरूप एवं न्यायसंगत नही है। पटवारी हल्का से अतिक्रमण कब्जा की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त भी हो चुकी है। जिसमें पटवारी हल्का ग्राम भाबरू के आराजी खसरा नम्बर 3415 किस्म गैर मुमकिन नदी में अपीलान्ट/प्रार्थी हसन खान का कोई अतिक्रमण नही होना बताया है। इसलिए इस से साबित है कि अपीलान्ट/प्रार्थी का उक्त आराजी में किसी प्रकार का अतिक्रमण वर्तमान में नही है। इसलिए उक्त अपील को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश 21.09.2020 को अपास्त करवायें।

9. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि गैर सायल/अपीलान्ट द्वारा ग्राम भाबरू के आराजी खसरा नम्बर 3415 गैर मुमकिन नदी में खरीफ की फसल बाजरा की 0.30 है० भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर काश्त कर रखी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल द्वारा उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर खरीफ की फसल काश्त की है तथा पश्चातवर्ती साबित होने पर बेदखली पैनल्टी तथा सिविल कारावास के आदेश 21.09.2020 गैर सायल के विरूद्ध पारित किये है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज करवाये।

10. प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य सबूत के अवलोकन करने से तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन करने से पाया कि

Scanned with CamScanner

प्रकरण एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 अतिक्रमण से सम्बन्धित है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा पटवारी हल्का भाबरू के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 3415 किस्म गैर मुमकिन नदी पर 0.30 है0 पर नाजायज रूप से अतिक्रमण की रिपोर्ट गैर सायल के विरूद्ध पेश होने पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत गैर सायल/अपीलान्ट के विरूद्ध तहसीलदार विराटनगर द्वारा निर्णय पारित कर बेदखली पैनल्टी तथा 90 दिवस की अवधी के लिए सिविल कारावास की सजा के आदेश दिनांक 21.09.2020 पारित किया जाना पाया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर एल. आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज कर अपीलान्ट के विरूद्ध सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना जबाब लिए तथा बिना बयानों व जिरह की कार्यवाही के बिना अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त आदेश 21.09.2020 पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई अतिक्रमण स्थल पर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलान्ट का अब कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। इसलिए अपीलान्ट की अपील को मंजूर फरमाने तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा पारित आदेश 21.09.2020 को अपास्त फरमावे। पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि गैर सायल द्वारा ग्राम भाबरू की भूमि आराजी खसरा नम्बर 3415 किस्म गैर मुमकिन नदी रकबा 0.30 है0 पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर खरीफ की फसल बाजरा की काश्त की है। उक्त आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर गैर सायल के विरूद्ध आदेश 21.09.2020 पारित कर विधि अनुरूप बेदखली पैनल्टी वसूली के आदेश पारित किये हैं तथा पश्चातवर्ती पाये जाने पर 90 दिवस की अवधि के लिए सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये है। गैर सायल/अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। इसलिए उक्त अपील को खारिज फरमावें।

चूंकि अपीलार्थी/गैर सायल मुताबिक पटवारी हल्का की रिपोर्ट से ग्राम भाबरू के आराजी खसरा नम्बर 3415 किस्म गैर मुमकिन नदी मे अपीलार्थी का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि भविष्य में सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण अपीलार्थी/गैर सायल नही करेगा। उक्त शर्तो के आधार पर ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नरमी का रुख अपनाया जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध 90

Scanned with CamScanner

दिवस की अवधि की सजा के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 21.09.2020 सजा के अलावा सभी आदेश यथावत रहेंगें। उक्त शर्तों के आधार पर ही अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा सरकार बनाम हसन खान मु. नं. 105/2020 में पारित आदेश 21.09.2020 में पारित सजा के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा शेष आदेश यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार विराटनगर को तहरीर जारी हों।

12. यह निर्णय आज दिनांक 22.12.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)